

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन/2020, लखनऊ:: दिनांक::फरवरी 24, 2020

--: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-303/2020 दिनांक 13.02.2020 द्वारा माह मार्च-2020 हेतु पीठ-झाँसी में लम्बित दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 02.03.2020 से 07.03.2020 तक युगल पीठ गठित की गयी थी, जिसमें विभागीय सदस्य के रूप में श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य पीठ-2, लखनऊ को नामित किया गया है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ द्वारा पत्रांक-54/2020 दिनांक 17.02.2020 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि झाँसी उनका होम टाउन है तथा झाँसी जिले व झाँसी सम्भाग के अन्तर्गत जिला-ललितपुर आदि में उनके अनेकों ऐसे रिश्तेदार हैं जो व्यापारी वर्ग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संबंध रखते हैं।

अतः सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माह मार्च-2020 के लिए गठित युगल पीठ में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1- माह मार्च-2020 में झाँसी पीठ में लम्बित दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 03.03.2020 से 07.03.2020 तक गठित युगल पीठ में विभागीय सदस्य के रूप में श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य पीठ-2, लखनऊ के स्थान पर श्री विजय कुमार, सदस्य पीठ-2, कानपुर को नामित किया जाता है।

2- इसी प्रकार माह मार्च-2020 में लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 में लम्बित दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 23.03.2020 से 28.03.2020 तक गठित युगल पीठ में विभागीय सदस्य के रूप में श्री विजय कुमार, सदस्य पीठ-2, कानपुर के स्थान पर श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य पीठ-2, लखनऊ को नामित किया जाता है।

युगल पीठ की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया जाये।

ह0-24.2.20

( नीरजा सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन/363/2020, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-झाँसी।
- 2-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 3-श्री विजय कुमार, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर।
- 4-श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ।
- 5-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 7-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।